

न्यायालय:- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, औरंगाबाद।

जी०आर०सं०:-512 / 2022, सी०आई०एस०सं०:-1381 / 2023

नवीनगर थाना काण्ड संख्या:-79 / 2022

06.06.2024 प्रस्तुत वाद में अनुसंधानकर्ता के द्वारा वाद दैनिकी के साथ आरोप पत्र संख्या 63 / 2023, दिनांक 10.03.2023 को नामजद अभियुक्त- ललीता देवी तथा विभा देवी को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण-1. सरोज कुमार तथा 2. बलीराम मेहता के विरुद्ध घारा 341,323,308,504 / 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत दिनांक 08.08.2023 को इस न्यायालय में समर्पित किया गया है।

संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान लोक अभियोजन अधिकारी को सुना।

वाद दैनिकी तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया। वाद के सूचक ओम प्रकाश मेहता ने वाद दैनिकी में दिये बयान में अभियोजन की घटना का समर्थन किया है। वाद दैनिकी के अन्य साक्षियों ने भी प्राथमिकी में वर्णित घटना का पुष्टि किये हैं।

अनुसंधानकर्ता के द्वारा समर्पित आरोप पत्र के कंडिका-11 में नामित अभियुक्तगण- 1. सरोज कुमार तथा 2. बलीराम मेहता के विरुद्ध घारा 341,323,308,504 / 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत संज्ञान लेने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त तथ्य मौजूद है।

अतः इस वाद में अभियुक्तगण-1. सरोज कुमार तथा 2. बलीराम मेहता के विरुद्ध घारा 341,323,308,504 / 34 भा०दं०वि० के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है। कार्यालय अभियुक्तगण के उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। अभिलेख दिनांक..... को अभियुक्तगण के उपस्थिति हेतु।

लेखापित

अपर मु० न्या० दण्डा० प्रथम
औरंगाबाद।